

प्रेषक,

मायावती ढकरियाल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
डेरी विकास विभाग,  
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक: 02 मई, 2019:

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत धारा 4 (1) (ख) में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत मैनुअलों को अद्यतन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून का पत्र संख्या-3274/उ0सू0आ0/2018-2019, दिनांक 16 अप्रैल, 2019 की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के प्राविधानानुसार अपने विभाग के अन्तर्गत समस्त स्तरों पर नामित लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों की स्थिति इस वर्ष हेतु तैयार किये जाने वाले मैनुअल में माह अप्रैल, से जून तक अनिवार्य रूप से अद्यतन करते हुए विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(मायावती ढकरियाल)  
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि :

निजी सचिव, प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को उपरोक्त वर्णित पत्र संख्या 3274/उ0सू0आ0/2018-19, दिनांक 16/04/2019 के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से

(वी0एस0पुण्ड्रीर)

उपसचिव